फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

नरपतराज बनाम हरि सिंह

किस्म मुकदमा .....225....Rt Act..... मुकदमा नंबर.....61.....सन.....2022.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24-6-22	यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत सहायक कलक्टर मारवाड़ जक्शन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2020 बअनवान हरि सिंह बनाम इन्द्रा देवी में पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म्याद बाद जांच म्याद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र पर बहस हेतु निवेदन किया, जिस पर वकील अपीलांट की स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने स्थगन प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 के तहत हस्तगत प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी के संबध में प्रस्तुत कर बंटवाडा कराने का अनुतोष चाहा, साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है। वादग्रस्त आराजी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त सहखातेदारी आराजी है एवं रेकर्डेड खातेदार है। एवं कानूनन रेकर्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की आड में अपीलांट के कब्जे काश्त में दखलदांजी करने पर आमादा है। इसके अतिरिक्त जैर अपील आदेश के कारण अपीलांट अपनी आराजी का उपयोग–उपभोग करने में समस्या उत्पन्न हो रही है, जिससे अपीलांट को अपूर्णनीय क्षति हो रही है। अत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश की पालना व प्रभाव का स्थगित फरमाई जावे। अधिवक्ता अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से प्रकरण में रेकर्डड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की गई है इस संबंध में माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान ने Revision No 6229/Ganganagar of 2006-Karamjeet kaur vs Gurdeep Singh Decided on 28-08-2008 में प्रतिपादित किया है कि संयुक्त सम्पति के सभी अंशधारी कब्जे में होना माने जाते हैं– और बिना विभाजन के उसके हिस्से की सम्पति को विक्रय करने की हकदार है अतः प्रथम दृष्टया मामला अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। अत अंतरिम व्यादेश इस कदर सादिर किया जाता है कि सहायक कलक्टर मारवाड़ जक्शन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2020 बअनवान हरि सिंह बनाम इन्द्रा देवी में पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 में आंशिक संशोधन किया जाता है उभयपक्षकारान मौके की यथास्थिति रखेंगे। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को आदेश दिया जाता है कि आपके न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 78/2020 बअनवान हरि सिंह बनाम इन्द्रा देवी में पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के संबध में उभयपक्षों को सुनकर आदेश 39 नियम 3(क) सीपीसी की पालना करते हुए 30 दिवस के भीतर निर्णय पारित करे। उक्त आदेश की प्रति सहायक कलेक्टर मारवाड़ जंक्शन व तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन को पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल शुमार होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफ्तर होकर नम्बर से कम हो। राजस्व अपील प्राधिकारी पाली	